

उत्तराखण्ड शासन
गृह अनुभाग-1
संख्या- 685/XX(1)/76/पी0पी0एस0/2007
देहरादून : दिनांक : 27 अगस्त, 2009

अधिसूचना
प्रकीर्ण

राज्यपाल, "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और इस विषय पर विद्यमान समस्त नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करके उत्तराखण्ड पुलिस सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

उत्तराखण्ड पुलिस सेवा नियमावली, 2009

भाग एक-सामान्य

- संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ
1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड पुलिस सेवा नियमावली, 2009 है।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।
- सेवा की प्रारिथति
2. उत्तराखण्ड पुलिस सेवा एक राज्य सेवा है, जिसमें समूह "क" और "ख" के पद समाविष्ट हैं।
- परिभाषाएं
3. जब तक विषय या संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में:-
- (क) 'नियुक्ति प्राधिकारी' से उत्तराखण्ड के राज्यपाल अभिप्रेत है;
(ख) 'भारत का नागरिक' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो 'भारत का संविधान' के भाग-दो के अधीन भारत का नागरिक हो या भारत का नागरिक समझा जाय;
(ग) 'संविधान' से भारत का संविधान अभिप्रेत है;
(घ) 'आयोग' से उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग अभिप्रेत है;
(ङ) 'राज्यपाल' से उत्तराखण्ड के राज्यपाल अभिप्रेत है;
(च) 'सरकार' से उत्तराखण्ड राज्य की सरकार अभिप्रेत है;
(छ) 'पुलिस महानिदेशक' से उत्तराखण्ड का पुलिस महानिदेशक अभिप्रेत है;
(ज) 'सीधी भर्ती' से इस नियमावली के नियम 5 के उपनियम (1) के खण्ड (एक) द्वारा विहित रीति से भर्ती अभिप्रेत है;
(झ) 'विभागाध्यक्ष' से पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड अभिप्रेत है;
(ट) 'सेवा का सदस्य' से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने से पूर्व प्रवृत्त नियमों और आदेशों के उपबन्धों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है;
(ड) 'सेवा' से उत्तराखण्ड पुलिस सेवा अभिप्रेत है;

- (ड़) 'मौलिक नियुक्ति' से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति अभिप्रेत है, जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो और, यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्काल विहित प्रक्रिया के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो; तथा
- (च) 'भर्ती का वर्ष' से किसी कलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि अभिप्रेत है।

भाग दो- संवर्ग

सेवा का संवर्ग

4. (1) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी, जितनी राज्यपाल द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाय।
- (2) जब तक कि उप नियम (1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दे दिये जायें, सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी, जितनी संलग्न परिशिष्ट 'क' में दी गयी है;
- परन्तु यह कि
- (एक) राज्यपाल किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकते हैं या उसे आस्थगित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार नहीं होगा;
- (दो) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं, जिन्हें वह उपयुक्त समझें।

भाग तीन-भर्ती

भर्ती का स्रोत 5.

- (1) उप नियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, सेवा के साधारण संवर्ग में भर्ती निम्न प्रकार से की जायेगी:-
- (एक) आयोग द्वारा संचालित प्रतियोगिता परीक्षा के परिणाम के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा;
- (दो) स्थायी पुलिस निरीक्षकों की पदोन्नति द्वारा;
- परन्तु यह कि भर्ती इस क्रम से की जायेगी कि संवर्ग के पचास प्रतिशत पद सीधी भर्ती से और पचास प्रतिशत पद पदोन्नति द्वारा धारण किये जायें।
- (2) राज्यपाल, आपवादिक परिस्थितियों में, आयोग के परामर्श से, आयोग द्वारा संचालित विशेष परीक्षा के परिणाम के आधार पर सेवा में विशेष या आपात भर्ती कर सकते हैं। भर्ती के लिये शैक्षिक अर्हता और आयु तथा ऐसी परीक्षा के लिये पाठ्यक्रम ऐसा होगा, जैसा लोक सेवा आयोग द्वारा राज्यपाल के अनुमोदन से विनिश्चित किया जाय। ऐसी परीक्षा के आधार पर नियुक्त अभ्यर्थी, इस नियमावली के प्रयोजनार्थ, इस नियम के उपरोक्त उप नियम (1) के खण्ड (एक) के अधीन सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किये गये समझे जायेंगे।

आरक्षण

6. उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग और अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण, भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

